पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)02 / 2024–3954/

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 27/07/2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 अन्तर्गत 8 अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 220.991 लाख (रुपये दो करोड़ बीस लाख निन्यानवे हजार एक सौ) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 अन्तर्गत 8 अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 220.991 लाख (रुपये दो करोड़ बीस लाख निन्यानवे हजार एक सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–''क'', ''ख'', ''ग'' एवं अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

2) वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय राज्यादेश सं०–476, दिनांक–12.02.2024 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष (आर०आई०डी०एफ०) के तहत 08 (आठ) अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) के क्रय हेतु कुल 304.00 लाख (तीन करोड़ चार लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3) बी०एल०डी०ए०, पटना के पत्रांक– बी०एल०डी०ए०–04 / 2025 / 1170, दिनांक–06.06.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त राज्यादेश के आलोक में GeM Portal के माध्यम से निविदा सं०–GEM/2025/B/6382699 प्रकाशित कर एजेंसी का चयन एवं दर निर्धारण पश्चात् कुल 08 (आठ) अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग

75

विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) की आपूर्ति पूर्ण की जा चुकी है तथा क्रय किये गये इन वाहनों के परिचालन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराया जाना है।

बी०एल०डी०ए०, पटना के उक्त पत्र के आलोक में इन वाहनों का मुख्य कार्य पशु उठाव एवं परिवहन होगा। परन्तु जब बीमार एवं लाचार पशुओं का उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, तब सभी 8 (आठ) वाहन चलंत पशु चिकित्सालय (MVH) के रूप में भी कार्य करेंगे। इन वाहनों का परिचालन एवं प्रबंधन PPP Mode में किया जाएगा जिसके लिए बी०एल०डी०ए०, पटना के स्तर से निविदा प्रक्रिया की जाएगी।

4) संगत राज्यादेश की कंडिका–8 के अनुसार Animal Lifting and Carrying Vehicle के लिए चालक की सेवाएँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जाना है।

5) प्रति वाहन एक चालक–सह–परिचारी के साथ–साथ एक पशु चिकित्सक तथा एक पैरावेट की भी आवश्यकता होगी। साथ ही, ईधन एवं रख–रखाव तथा पशु दवा पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता होगी। तदनुसार Animal Lifting and Carrying Vehicle के संचालन के लिए मदवार आवश्यक राशि का आकलन अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

6) वर्तमान में राज्य में 534 मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (MVU) संचालित किये जा रहे हैं एवं पशुपालकों की सुविधा हेतु टॉल फ्री नम्बर 1962 एवं राज्य स्तर पर एक Call Centre कार्यरत है। नये 8 अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) को भी उक्त टॉल फ्री नम्बर 1962 एवं Call Centre से सम्बद्ध कर परिचालन कराया जायेगा तथा इस हेतु बी०एल०डी०ए०, पटना के स्तर से विभाग की सहमति से दिशा–निदेश निर्गत किया जायेगा। पूर्व से कार्यरत मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई (MVU) तथा कॉल सेन्टर के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी के चयन एवं भुगतान की कार्रवाई बी०एल०डी०ए०, पटना के स्तर से की जा रही है। अतः उक्त के अनुरूप प्रस्तावित योजना के तहत Animal Lifting and Carrying Vehicle के संचालन हेतु स्वीकृत राशि का आवश्यकतानुसार व्यय भी परियोजना निदेशक, बी०एल० डी०ए०, पटना के द्वारा संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

7) वर्तमान में योजना हेतु आवर्ती व्यय की गणना मात्र वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए की गयी है। परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा योजना के प्रभाव का आकलन करते हुए आगामी वित्तीय वर्षों में आवर्ती व्यय के लिए आवश्यक राशि की गणना करते हुए योजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।

8) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा बिहार वित्त नियमावली एवं संगत वित्तीय प्रावधानों तथा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार के स्तर से निर्गत सभी दिशा–निदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

9) परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्रियों/पशु दवाओं का क्रय किया जाए तथा राशि का व्यय किये जाने के पूर्व सभी विपत्रों तथा प्राप्त की गयी सेवाओं/सामग्रियों इत्यादि की पूर्ण जाँच से संतुष्ट होने के उपरान्त ही वास्तविक दर के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

10) योजना कार्यान्वयन के क्रम में बी०एल०डी०ए० के प्रोजेक्ट गवर्निंग काउंसिल की सहमति एवं विभागीय अनुमोदन से स्वीकृत राशि के अन्तर्गत उपरोक्त कंडिका–5 में अंकित अवयवों में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकेगी, किन्तु कुल व्यय योजना में स्वीकृत राशि के अधीन रखा जायेगा।

11) योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने की स्थिति में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार द्वारा यथा आवश्यक आंशिक संशोधन किया जायेगा।

12) वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" के तहत अतिरिक्त योजना उद्व्यय प्राप्त करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

13) इस योजना के तहत प्रस्तावित व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्षों के तहत विभिन्न विषय शीर्षों में उपबंधित राशि से किया जायेगा :–

(i) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0108 –पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403001010108.

(ii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0112 --पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन--सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403007890112.

43

(iii) मुख्य शीर्ष--2403 --पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष--00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या--02, उप शीर्ष–0131 --पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403007960131.

बजट की उपलब्धता :-- वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु ''आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2'' के तहत अतिरिक्त योजना उद्व्यय प्राप्त करते हुए अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंध कर योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा। प्रस्तावित योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

14) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह--बुल स्टेशन, पटना होंगे।

15) योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि (व्यय विवरणी–''क'', ''ख'' एवं "ग" के अनुरूप) की निकासी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह--बुल स्टेशन, पटना द्वारा पटना समाहरणालय कोषागार, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पी०एल० खाता (संख्या–PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन पर परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना द्वारा नियमानुसार व्यय की कार्रवाई की जायेगी एवं व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

16) दिनांक–17.06.2026 को सम्पन्न स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)02/2024 के पृष्ठ 52--51/प०.

17) दिनांक--08.07.2026 को संपन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)02/2024 के पृष्ठ 66–65/प०.

18) यह स्कीम सात निश्चय–2 अन्तर्गत एक नयी स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)02/2024 के पृष्ठ–54/टि० एवं दिनांक–18.07.2026.

19) निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के

72

अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

20) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)02/2024 के पृष्ठ–53/टि० एवं डायरी संख्या–479, दिनांक–16.07.2026.

21) वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

27/7/26

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)02/2024–3954 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)02/2024–3954 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पटना समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)02/2024–3954 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)02/2024–3954 /पटना–15, दिनांक– 27 / 07 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26
सरकार के संयुक्त सचिव

71

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)02/2024–3954 /पटना–15, दिनांक– 27/07/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखापरीक्षा नियंत्रक, कार्यालय महालेखाकार, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)02/2024–3954 /पटना–15, दिनांक– 27/07/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)02/2024–3954 /पटना–15, दिनांक– 27/07/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)02/2024–3954 /पटना–15, दिनांक– 27/07/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/26

सरकार के संयुक्त सचिव

(70)

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 अन्तर्गत 8 अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) के संचालन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02–2403001010108)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0108.2802 –संविदा सेवाएँ	115.001	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
2	0108.3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	67.320		
	कुल –	**182.321**		

कुल (रुपये एक करोड़ बयासी लाख बत्तीस हजार एक सौ) मात्र।

3954
27/07/26

सरकार के संयुक्त सचिव

7 Typed by Sanjay Kumar

169

व्यय विवरणी–"ख"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय--2 अन्तर्गत 8 अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) के संचालन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (विपत्र कोड 02–2403007890112)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0112.2802 –संविदा सेवाएँ	22.30	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
2	0112.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	13.06		
	कुल –	**35.36**		

कुल (रुपये पैंतीस लाख छत्तीस हजार) मात्र।

3954
27/07/26

28/7

सरकार के संयुक्त सचिव

8 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2026--27 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 अन्तर्गत 8 अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) के संचालन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड 02–2403007960131)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0131.2802 –संविदा सेवाएँ	2.09	विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक--सह–बुल स्टेशन, पटना।	पटना समाहरणालय कोषागार, पटना।
2	0131.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	1.22		
	कुल –	**3.31**		

कुल (रुपये तीन लाख एकतीस हजार) मात्र।

व्यय का सारांश		
क्र०	व्यय विवरणी	प्रस्तावित राशि (लाख रुपये में)
1	"क"	182.321
2	"ख"	35.360
3	"ग"	3.310
	कुल योग :–	**220.991**

कुल (रुपये दो करोड़ बीस लाख निन्यानवे हजार एक सौ) मात्र।

सरकार के संयुक्त सचिव

9 Typed by Sanjay Kumar

67

अनुलग्नक–1

"आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत 8 अदद एनिमल लिफ्टिंग एंड कैरिंग विहिकल (Animal Lifting and Carrying Vehicle) के संचालन हेतु मदवार आवश्यक राशि का आकलन

(क) मानव बल –

क्र० सं०	विवरणी	संख्या	दर प्रति इकाई (रुपयें में)	प्रति माह व्यय (रुपये में)	वार्षिक व्यय (रुपये में)
1	पशु चिकित्सक	8	65,000	5,20,000	62,40,000
2	पैरावेट	8	20,000	1,60,000	19,20,000
3	चालक–सह–परिचारी	8	30,000	2,40,000	28,80,000
				योग –	**1,10,40,000**
	सेवा शुल्क		Service Charge - (Max. 7.00%, Min. 3.85%)		7,72,800
				कुल –	**1,18,12,800**
	जी०एस०टी०		GST @ 18%		21,26,304
				कुल योग –	**1,39,39,104**

(ख) ईंधन एवं पशु दवा –

क्र० सं०	विवरणी	संख्या	दर प्रति इकाई, प्रति माह (रुपये में)	प्रति माह व्यय (रुपये में)	वार्षिक व्यय (रुपये में)
1	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	8	50,000	4,00,000	48,00,000
2	पशु दवा	8	35,000	2,80,000	33,60,000
				योग –	**81,60,000**
				कुल योग (क + ख)	**2,20,99,104**
				कुल प्रस्तावित राशि	**2,20,99,100**

(रुपये दो करोड़ बीस लाख निन्यानवे हजार एक सौ मात्र)

3954
27/07/26

2/7

सरकार के संयुक्त सचिव